उपाध्यक्ष महोदय : मैंने समझा आप इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहे हैं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : दस-पांच मिनट और।

मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा है कि राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा के लिये आबंटित किया जायेगा और सन् 2000 तक इसे हासिल कर लिया जायेगा और 50 प्रतिशत धनराशि प्राथमिक शिक्षा के लिये होगी और तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये विशिष्ट राशियां तय की जायेंगी ताकि 1998-99 तक 10 करोड़ व्यस्कों को स्व-रोजगार मिल सके और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य पूरा हो सके।

यह एक बहुत अच्छा और अभूतपूर्व उद्देश्य है। अतः इस उद्देश्य को कार्यान्वित किया जाना चाहिये और इसकी उपलब्धियां इस लोकतान्त्रिक देश में आने वाली सदियों के लिये याद रखी जाने योग्य होंगी।

मैं निष्कर्ष में यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को दोष देने से काम नहीं चलेगा। हमें एक सिद्धांत तय करना चाहिये। हमें ठोस आलोचना करनी चाहिये। हमें हमेशा प्यार करना चाहिये और अपनी उपलब्धियों को याद रखने योग्य बनाना चाहिये। हमें हर बात का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिये। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि "मैं बड़ा हूं और वह बड़ा नहीं है।" हमें इस बात में विश्वास नहीं करना चाहिये "कि मेरी पार्टी अच्छी है और दूसरी पार्टी कम अच्छी है।" एक महान उद्देश्य के लिये, एक कीर्तिमान भविष्य के लिये हम सब को एकता की जरूरत है और हमें एक चट्टान बन कर खड़े होना है और देखना है कि विश्व के भावी मानचित्र में एक उज्जवल विरासत छोड़ें।

अतः मैं कहता हूं कि अनिवार्य शिक्षा का बहुत महत्त्व है। यह ठीक है कि हम शिक्षा में आगे बढ़े हैं। हमने कहा कि माता-पिता के सिर पर यह डर रहना चाहिये कि यदि वे अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोकेंगे तो उनको सजा मिलेगी। यह ठीक है कि हमारा देश लोकतान्त्रिक देश है। यहां पर बल के प्रयोग से कोई सहमत नहीं होगा। उससे विद्रोह पैदा होगा।

सर यह डेमोक्रेटिक कन्ट्री है। थोड़ी-सी धमकी देकर, बाद में प्यार से और मानवता से इसे करना है।

हमें ऐसा विचार पैदा करना है कि "तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, केवल पांच या दस रुपये की बात न सोचो जो आपको अपने बच्चे को मजदूरी का काम करने के लिये भेज कर मिलते हैं। आपको उन्हें स्कूल अवश्य भेजना चाहिये।" इस तरह सरकार को कार्यवाही करनी है। स्वयंसेवी संगठनों को आगे बढ़ना चाहिये और ऐसे लोगों को भी आगे आना चाहिये जिनकी भावनाएं अच्छी हैं और बेकसूर माता-पिता को मानसिक रूप से इस बात के लिये प्रशिक्षण देने में सहायता करनी चाहिये कि वे अपने बच्चों को स्कूल में जाने से रोकने की गलती नहीं करनी चाहिये।

अतः मैं निष्कर्ष में यह कहना चाहता हूं कि आपने इस विधेयक को लोकसभा में पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। और इससे पता चलता है कि आप यह समझते हैं कि यह अच्छा काम है। मैं समझता हूं कि यहां पर बोलने वाले माननीय सदस्य निश्चित रूप से इसका समर्थन करेंगे। प्रधान मंत्री जी का बहुत अच्छा दिल है, अच्छा मन है और सेवा करने की भावना है।

यह संयोग की बात है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री यहां पर उपस्थित थे। मुझे विश्वास है कि वे निश्चित रूप से यह कहेंगे कि यह एक अच्छा विचार है और उनके न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उद्देश्य है। यदि वे अपने स्वर के साथ घोषणा करते हैं तो यह बड़ी खुशी की बात होगी। हमें उससे प्रसन्नता होगी।

मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसका समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि समिति देश में सभी बच्चों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने और उससे संबंधित विषयों के लिये उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

आपके द्वारा प्रधान मंत्री के प्रति उद्‌गार प्रकट करने के बाद मैं प्रधान मंत्री को अपना वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 5.10 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू-कश्मीर राज्य को ऋण राहत, केन्द्रीय योजना सहायता, विस्थापितों के शिविरों में सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के विकास के संबंध में।

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : महोदय, हमने जम्मू-कश्मीर के बारे में कुछ राहत के कदम उठाये हैं मैं उनके बारे में निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं।

आतंक से प्रभावित छोटे व्यापारियों को ऋण-राहत

माननीय सदस्यों को याद होगा कि 23 जुलाई, 1996 को मैंने सभा में जम्मू-कश्मीर राज्य में संचार और बिजली क्षेत्रों में किन्हीं दीर्घावधि आधारढांचा परियोजनाओं के संबंध में एक वक्तव्य दिया था। माननीय सदस्या मेरे साथ सहमत होंगे कि पर्यटन, बागवानी और हस्तशिल्प जम्मू-कश्मीर राज्य की अर्थव्यवस्था का मूल हैं। लघु व्यापार और उद्योग, परिवहन और होटल जैसी अन्य गतिविधियां पर्यटन क्षेत्र का साधन बनती हैं। पिछले 6-7 साल में आतंकवाद के कारण इस क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। 1986-87 में घाटी में आने वाले पर्यटकों की सात लाख की अधिकतम सख्या पिछले कुछ सालों में नगण्य मात्र रह गई है। इसका असर पर्यटन और सम्बद्ध गतिविधियों पर आश्रित हजारों परिवारों की जीविका पर असर पड़ा है। इससे प्रभावित होने वाले यूनिट और

व्यक्ति, जिन्होंने बैंकों से वाणिज्यिक ऋण लिये थे ऋणों को अदा नहीं कर सके हैं क्योंकि पैसे की आवद रूक गई थी और ऋण के फंदे में फंस गये हैं। राज्य सरकार की पहचान के अनुसार लघु खेत्र के उद्योग और व्यापार, परिवहन, होटल तथा हाऊसबोट व्यापार से जुड़े 31000 लोगों ने 181.87 करोड़ रुपए के ऋण ले रखे हैं। पिछले 6 वर्षों में ऋणों की शायद ही कोई वापसी हुई है और इन ऋणों पर ब्याज की राशि ही बढ़ कर 212.76 करोड़ रुपए हो गई है। माननीय सदस्य मेरे से सहमत होंगे कि आतंकवाद से पर्यटन में बाधा आई और पर्यटकों के न आने के कारण बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई और बढ़ती बेरोजगारी ने आतंकवाद को बढ़ने में सहायता दी। इस तरह एक कुचक्र शुरू हुआ।

अब जब हम लोकातन्त्रिक प्रक्रिया को फिर से आरंभ कर रहे हैं और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं तो यह जरूरी है कि उन बेसहारा लोगों को, विशेषकर छोटे ऋण लेने वालों को कुछ राहत देना जरूरी है। अतः सरकार का विचार 50000 रुपए या उससे कम मूल ऋण लेने वाले सभी लोगों के बकाया ऋण तथा उस पर ब्याज को माफ करने का है। इससे ये छोटे ऋण लेने वाले अपने व्यापार को फिर से शुरू करने के लिये बैंकों से फिर से नए ऋण ले सकेंगे। जहां तक 50000 रुपए से अधिक ऋण लेने वालों का संबंध है उनके ऋणों की वापसी की मोहलत बढ़ाने, ऋणों की वापसी को स्थगित करने, ब्याज की दरें कम करने और इस तरह की अन्य की जा सकने वाली राहतों पर विचार करने के लिए एक अन्तः मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है।

जम्मू-कश्मीर राज्य को 1995-96 के लिये विशेष केन्द्रीय योजना सहायता

आतंकवाद के परिणामस्वरूप पैदा हुई जम्मू-कश्मीर राज्य की खतरनाक वित्तीय स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार समुचित वार्षिक आयोजना खर्चे को पूरा करने के लिये ही नहीं अपितु गैर-योजना खर्चे को भी पूरा करने के लिये भी जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता के जरिए सहायता करती रही है। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के डगमगाते बजट में पिछले तीन सालों में कुछ स्थिरता आई हैं। पिछले साल अर्थात् 1995-96 में संसद ने राज्य के लिये एक संतुलित बजट पारित किया जिसमें गैर-आयोजना व्यय को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सहायता का प्रावधान था ताकि 1050 करोड़ रुपए का स्वीकृत योजना परिव्यय बनाये रखा जा सके। इस तथ्य को देखते हुए कि राज्य ने पिछले साल पहली बार 1050 करोड़ रुपए का परियोजना व्यय पूरा खर्च किया। इस चालू साल का परियोजना व्यय फिर से 1050 करोड़ रुपए तय किया गया है। तथापि, पिछले साल की केन्द्रीय सहायता के साथ भी चालू साल के राज्य के बजट में 352 करोड रुपए का चालू खाते में घाटा है। इसका कारण विभिन्न मदों पर राज्य सरकार की अतिरिक्त वचनबद्धताएं हैं।

जब तक संसाधनों के इस अन्तर को इतनी ही राशि की विशेष केन्द्रीय सहायता के जरिए पूरा नहीं किया गया तो राज्य के सामने अपने आयोजन व्यय को घटाकर 668 करोड़ रुपए करने के सिवाए और कोई विकल्प नहीं होगा। इस महत्वपूर्ण व संवेदनशील मौके पर जब राज्य सम्पूर्ण सामान्य स्थिति के रास्ते पर अग्रसर हैं, इस विकल्प से बचने की जरूरत है। अतः केन्द्र ने चालू साल में राज्य के बजट में 352 करोड़ के घाटे को पूरा करने के लिये विशेष केन्द्रीय आयोजना सहायता देने का निर्णय किया है। ताकि 1050 करोड रुपए का सम्पूर्ण योजना परिव्यय का कुछ भी हिस्सा गैर-योजना खर्चे को पूरा करने के लिये अपवर्तित किये बिना विकास योजनाओं के लिये ही उपयोग में लाया जा सकें।

3. जम्मू में विस्थापित शिविरों में सुविधाओं में सुधार : माननीय सदस्य जानते हैं कि घाटी से विस्थापित हुए लोगों के 27000 परिवार जम्मू में स्वयं अपने द्वारा किए गए प्रबन्धों के अन्तर्गत अथवा शिविरों में रह रहे हैं। जम्मू में 13 शिविरों में दी जा रही सुविधाओं में सुधार करने की जरूरत है। यह सुविधाएं शौचालयों एवं स्नानगृहों जैसी सफाई सुविधाओं की व्यवस्था करना, एक-दूसरे वाले और अधिक टेनमेंट बनाना, शिविरों में चलाये जा रहे स्कूलों के लिये भवनों का निर्माण, शिविरों में जल निकासी सुविधाओं का सुधार आदि से संबंधित हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वक्तव्य की प्रति हमें क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई है ? पहले तो ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता था। क्या यह कोई नई प्रक्रिया है जिसका पालन किया जा रहा है।

श्री एच. डी. देवेगौडा : सरकार द्वारा चालू वर्ष में शिविरों में उपरोक्त अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये 6.16 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि प्रदान की जायेगी।

4. लेह जिले में पर्यटन के लिये आधारढांचे का विकास : जबकि कश्मीर घाटी पर्यटकों का परम्परागत रूप से आखरी गन्तव्य रही है अब जम्मू, ऊधमपुर, लेह और करगिल जिलों में नए पर्यटन केन्द्र बन रहे हैं। लेह विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र के रूप में उभरा है और राज्य सरकार की जिले के स्मारकों को नया रूप देने की पहले से ही एक योजना है। क्षेत्र में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिये मेरा विचार लेह में सम्मेलन केन्द्र की स्थापना के लिये 2.40 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन करने का है।

5. कारगिल में हवाई अड्डे का विकास : माननीय सदस्यों को पता है कि जोगीला में भारी हिमपात के कारण शरत ऋतु में श्रीनगर-कारगिल राजमार्ग के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप कारगिल का संबंध साल में सात महीनों में शेष राज्य से कट जाता है। अतः सरकार ने 25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कारगिल में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने को उच्च-प्राथमिकता दी है। इसका काम सीमा सड़क संगठन को सौंपा जा चुका है। उसके द्वारा हवाई पट्टी का निर्माण दो सालों में पूरा कर लिया जायेगा ताकि कारगिल नियमित वाणिज्यिक उड़ानों के लिये उपयुक्त हो सके। इस बीच सरकार का विचार वर्तमान पाक्षिक सेवा के स्थान पर गर्मियों के महीनों में कारगिल के लिये साप्ताहिक हैलिकाप्टर सेवा आरंभ करने का है। आवश्यक सबसिडी का भार सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

6. जम्मू शहर का दर्जा बढ़ाना : काफी समय से यह मांग है कि जम्मू शहर को बी-2 का दर्जा दिया जाये। किसी शहर को यह दर्जा

दिये जाने का मानदण्ड चार लाख जनसंख्या है। तथापि, माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि राज्य में 1991 जनगणना आयोजित नहीं की जा सकी थी। भारत के यहां पंजीयक का तथापि, विचार है कि जम्मू शहर की अनुमानित जनसंख्या 4.30 लाख है। अतः हमने जम्मू शहर को बी-2 नगर का दर्जा देने का फैसला किया है।

7. मुझे विश्वास है कि इन कदमों के परिणामस्वरूप राज्य में आर्थिक गतिविधि के फिर से शुरू होने में काफी मदद मिलेगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं ट्रैवल और टूरिज्म व्यापार का राज्य के लिये बहुत महत्व है। भारत सरकार राज्य सरकार की सलाह के साथ अपेक्षित आधारढांचा सुविधाएं मुहैया कराने और इस व्यापार से जुड़े लोगों तथा यूनिटों को सहायता देने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगी ताकि कश्मीर जल्द से जल्द पर्यटकों के स्वर्ग के अपने पहले के दर्जे को फिर से हासिल कर सके।

8. मैं इस अवसर का लाभ उठा कर राज्य को अधिकतम स्वायत्तता देने की सरकार की वचनबद्धता को फिर से दोहराता हूं। एक बार निर्वाचित सरकार के पदासीन हो जाने पर हम मतैक्य पर पहुंचने के लिये उसके साथ बातचीत करेंगे। ऐसा करते समय हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के जम्मू, लद्दाख तथा कश्मीर घाटी के सभी लोगों की आकांक्षाओं की ओर ध्यान दिया जाये।

9. मैं सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि राज्य में लोकतन्त्र की बहाली, सामान्यता की बहाली में तथा राज्य के आर्थिक पुनर्निर्माण में सहायता दें।

श्री सत्यपाल जैन (चन्डीगढ़) : महोदय, प्रधान मंत्री ने कश्मीर के विस्थापितों के लिये कुछ रियायतों की घोषणा की है... **(व्यवधान)**। कुछ विस्थापित ऐसे भी हैं जो दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में रह रहे हैं। क्या उन्होंने अभी अभी जो रियायतें घोषित की हैं उनका लाभ ऐसे विस्थापितों को भी मिलेगा ? यह मेरा पहला प्रश्न है ... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमें प्रधान मंत्री को इसके लिये बधाई देनी है... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक करके बोलें।

श्री सत्यपाल जैन : मैंने पहले आपकी अनुमति ली है। सुबह एक मामला उठाया गया था... **(व्यवधान)**

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : यदि आप उनको अनुमति देंगे तो हमें भी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये। आपको एक व्यक्ति की इस ओर से तथा एक व्यक्ति को इस ओर से तथा एक व्यक्ति को उस ओर से... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : एक-एक करके बोलें।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी बात तो सुन लीजिये

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नार्मली स्टेटमैन्ट पर क्वश्चंस एलाउ नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी आप एक-एक क्वश्चन पूछ लीजिए।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से कोई नहीं पूछ पायेगा।

...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं।

...**(व्यवधान)**

श्री सत्यपाल जैन : मैं प्रधान मंत्री से दो स्पष्टीकरण चाहता हूं... **(व्यवधान)** पहला यह है कि क्या आपने जम्मू में रहने वाले विस्थापितों के लिये जिन रियायतों की घोषणा की है वह देश के अन्य भागों में रहने वालों को भी मिलेंगी। कुछ विस्थापित दिल्ली में भी हैं और देश के अन्य भागों में भी हैं। यह तो पहली बात है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने जिन रियायतों की घोषणा की है क्या जम्मू के अतिरिक्त अन्य स्थानों के विस्थापितों को भी वह रियायतें मिलेंगी अथवा नहीं।

सुबह भी एक मामला उठाया गया था। सारे वक्तव्य मे उसका कोई उल्लेख नहीं है। आपने वक्तव्य में यह उल्लेख नहीं किया है कि आप आतंकवाद को खत्म करने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं। सुबह मामला उठा कर यह कहा गया कि अमरीका के राजदूत वहां पर गये हैं और वह वहां पर कश्मीरी आतंकवादियों से बात कर रहे हैं। वह अन्य भागों में जाकर भी लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। उनका अपहरण किया जा रहा है। कृपया इस बात को स्पष्ट करें कि आप आतंकवाद को रोकने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं। अन्यथा आप वहां चुनाव नहीं करवा सकेंगे।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : मैं शुरू में प्रधान मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। उनके द्वारा 23 जुलाई को दिये गये अपने वक्तव्य में कुछ बातों का उल्लेख नहीं किया था। सभी राजनैतिक दलों के मन में संशय बने हुए थे और उनको कोई विश्वास नहीं था। मैं प्रधान मंत्री को उनके वक्तव्य के अन्तिम भाग में इस बात का उल्लेख करने के लिये बधाई देता हूं कि वह सभी राजनैतिक दलों से सलाह मशविरा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपने अपेक्षित स्वायत्तता देने की सरकार की वचनबद्धता पर भी बल दिया है और आगे कहा है कि एक बार निर्वाचित सरकार के पदासीन हो जाने के बाद उसके साथ बातचीत की जायेगी। यह बहुत ही अच्छी घोषणा है। हमारी सरकार भी पिछले 2-3 सालों से इसी विचार पर काम कर रही थी।

मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। जम्मू-कश्मीर में इस तरह की भावना है कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं को शिक्षा जैसे क्षेत्र में राज्य के बाहर जा कर ऊँचे पदों पर काम करने का अवसर नहीं दिया जाता। यह उनकी भावना है। अतः यदि माननीय प्रधान मंत्री इस पर विचार करें तो इससे सहायता मिलेगी। जम्मू-कश्मीर में शिक्षा संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं। हमारी सरकार के शासन काल

के दौरान हमने उनको कर्नाटक जैसे देश भर के सभी भागों में भेजा था। 10 से 20 लडकों को भेजा गया था। मैं माननीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद करता हू कि जब वह कर्नाटक के मुख्य मंत्री थे तो 15.20 लड़कों को इंजीनियरिंग कालेज तथा डेन्टल कालेज में दाखिला लेने में मदद की थी। अतः जम्मू-कश्मीर के लोगों को इन बातों की जानकारी दी जा सकती है। मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि कुछ लोगों को, कुछ विशेष दल को जम्मू-कश्मीर में ऊंचे पदों पर भेजने पर विचार करें।

दूसरी बात यह है कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति बहुत सामान्य नहीं है ? जब हम भर्ती शुरू करते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी के बीच कुछ मतभेद थे जिसके कारण हम अपने विचारों के अनुसार काम नहीं कर सके। मैंने सुझाव दिया था कि अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिये कद में 2 सेन्टीमीटर की छूट देने पर विचार किया जाये। यह निश्चित है कि इस से ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। यदि माननीय प्रधान मंत्री कुछ दया दिखायें तो उससे सहायता मिल सकती है। यह छूट महानिदेशक दे सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य से उन्होंने यह मामला मंत्री महोदय के सामने रख दिया और हम दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गये। अन्ततः मुझे सफलता नहीं मिली। यदि प्रधान मंत्री उम्मीदवारों को कद में 2 सेंटीमीटर की छूट देने की रियायत देने का सुझाव मान लें तो कम से कम काफी संख्या में लड़कों को अर्द्ध सैनिक बलों में जाने का अवसर मिल सकता है।

श्री सन्तोष मोहन देव : कृपया इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये।

श्री राजेश पायलट : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में जाने दिया जाये। मैं तो केवल स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। आखरी बात नजरबन्द लोगों के बारे में है। पिछले 5 से 10 साल से लोग नजरबन्द हैं। क्या मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करूं कि गृह मंत्रालय में एक छोटी समिति का गठन करें और चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने से पहले सभी मामलों की समीक्षा करें। कई बार लोग कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं और इसके कारण उनको परेशानी हो रही है। यदि सरकार इस बारे में निर्णय करे तो इससे मदद मिलेगी। 2500 मामलों में से 700 ऐसे मामले हैं जो कानून की पकड से निकल नहीं सकते। अन्य मामलों की समीक्षा की जा सकती है। मैं समझता हूं कि इससे जम्मू-कश्मीर के भाईयों को अच्छा संन्देश मिलेगा। मैं समझता हूं कि वे सभी बातों का उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपकी सभी बातों का उत्तर देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं प्रधान मंत्री को उनके वक्तव्य के लिये बधाई देता हूं। कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिये यह सरकार के द्वारा उठाया गया बहुत ही सकारात्मक कदम है। उनकी कुछ लम्बित मांगों को पूरा किया गया है। प्रधान मंत्री ने ईमानदारी के साथ यह आश्वासन दिया है कि नई निर्वाचित सरकार के साथ आवश्यक स्वायत्तता दिये जाने के बारे में पूरी बातचीत की जायेगी। मुझे विश्वास है कि यह सरकार श्री राजेश पायलट और उनके वरिष्ठ लोगों द्वारा की गई गल्तियों को सुधारने की कोशिश करती रहेगी। श्री राजेश पायलट अब अपनी पिछली गल्तियों से सबक सीख रहे हैं।

श्री राजेश पायलट : मैं विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे विश्वास है कि अब के बाद श्री राजेश पायलट और अन्यों का हमें सहयोग मिलेगा।

श्री सन्तोष मोहन देव : हमेशा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ कितने लोग हैं। परंतु यह ऐसा अवसर है जब मैं उनकी भलाई की कामना करता हूं। परंतु हम सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की दिल से सराहना करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि हम जम्मू-कश्मीर की नई सरकार की स्थापना करेंगे।

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई-उत्तर पश्चिम) : महोदय, यह बहुत ही अच्छी बात है कि प्रधान मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लिये कुछ योजनाओं की घोषणा की है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। परंतु मैं उनके वक्तव्य के बारे में कुछ स्पष्टीकरणों की मांग करता हूं। उन लोगों का क्या होगा जो जम्मू के बाहर हैं और देश में अन्य स्थानों पर शरण लिये हुए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह पहले पूछा जा चुका है।

श्री मधुकर सर्पोतदार : उनकी स्थिति क्या है ? कश्मीर से जम्मू लाये गये लोगों को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। वे उनको स्नानगृह, शौचालय तथा अन्य सुविधाओं के साथ मकान मुहैया कर रहे हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि उनको स्थायी रूप से उन्हीं जगहों पर रहने के लिये कहा जायेगा। क्या उनको वापस उनके मूल स्थानों पर भेजने की कोई योजना है। यह भी एक महत्वपूर्ण मसला है।

इसके अतिरिक्त आज सुबह ही इसी सभा में अमरीका के लोगों के वहां जाने के बारे में प्रश्न पूछे गये थे। वे जम्मू-कश्मीर के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, सेना-कर्मियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, आदि आदि। क्या किसी बाहरी देश के लिये उनके साथ सम्पर्क स्थापित करना उचित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री या विदेश मंत्री ने इन अमरीकी अधिकारियों को उन लोगों के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करने की अनुमति दी थी ? इसको देखते हुए जम्मू-कश्मीर इस समय क्या स्थिति है ?

अंत में हम इन आतंकवादियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने जा रहे हैं। हर रोज वे हत्याएं कर रहे हैं। वहां रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही दयनीय हो गया है। हम सब जो इस देश में रहते हैं वहां पर होने वाली मौतों को लेकर चिंतित हैं। इसको देखते हुए यह सरकार वहां पर इन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक बात साफ है कि इसे चर्चा में नहीं बदला जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री ने अभी जो जम्मू कश्मीर के संबंध में घोषणा की है, उसका स्वागत होना

चाहिए। प्रधान मंत्री जी की चिंता स्वाभाविक है। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कुछ मिनट के लिये इस ओर ध्यान दें। आपने यहां जम्मू-कश्मीर के बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। इसके पहले भी आपने जम्मू-कश्मीर को इकोनोमिक पैकेज देने के नाम पर, नई रेल लाइन बिछाने के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये की घोषणा दूसरे सदन में, राज्य सभा में की थी। आज आपकी घोषणा के अंदर इकोनोमिक पैकेज भी है और पोलिटिकल पैकेज भी है। इकोनोमिक पैकेज के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करनी है। यह प्रश्न कई लोगों ने भी उठाया है कि कश्मीर में जो आतंकवाद पनपा है, जिस प्रकार से उसका पोषण और संवर्द्धन किया गया है, माननीय राजेश पायलट यहां बैठे हुए हैं, पांच साल का इनका कार्यकाल था। इनका आतंकवाद आपस में था। बड़े मंत्री का छोटे पर और छोटे मंत्री का बड़े मंत्री पर। ये इसी लड़ाई के चलते यहां तक चले आए। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने की योजना है, उसमें इकोनोमिक पैकेज दे दिया, हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आतंकवाद के चलते न केवल पर्यटन बर्बाद हुआ, बल्कि वहां से लाखों की संख्या में जो सदियों से वहां रहते थे, उनका इतना ही दोष था कि वे अल्पसंख्यक हैं।

उनका इतना ही दोष था कि वे अल्पसंख्यक हैं।

[अनुवाद]

जम्मू कश्मीर में 'हिन्दु अल्पसंख्यक हैं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनको अपनी बात पूरी करने दें।

श्री सत्य देव सिंह : यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप खड़े होकर मुझे रोक सकते हैं। परंतु आप व्यवधान को क्यों डालते हैं ? आप सुन लीजिए। आप बीच में क्यों खडे हो जाते हैं ?

आप निराधार बातें कर रहे हैं।... **(व्यवधान)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में जो उनकी सेंसिटिविटी है, उसी से पता चलता है कि मामला कितना गंभीर है। अगर वे लोग कश्मीर से बाहर के लोग है तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि उन्हें वापस लाया जाए और उनके लिए भी कोई इकॉनोमिक पैकेज दें। जो अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए हैं, प्रधान मंत्री जी का ध्यान उनकी तरफ भी जाना चाहिए, उनके लिए भी कुछ करने की जरूरत होनी चाहिए और टूरिज्म की बात करने से पहले मैं सर्पोतदार जी से अपने को जोड़ता हूं। कश्मीर घाटी के लिए स्वायत्तता के नाम पर आप पोलिटिकल पैकेज देने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बस करें।

...**(व्यवधान)**

श्री सत्य देव सिंह : आप इतने उत्तेजित क्यों हैं... **(व्यवधान)**

मैं समाप्त कर रहा हूं। परंतु एक बहुत ही वरिष्ठ मंत्री के लिये यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वह राष्ट्रीय एकता जैसे बहुत ही संवेदनशील मामले पर किसी की सुनना नहीं चाते हैं... **(व्यवधान)** ... आप जम्मू-कश्मीर को जोड़ना चाहते हैं... **(व्यवधान)**... इसमें गलत क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : हमें दूसरी सभा में भी जाना है।

श्री सत्य देव सिंह : ठीक है, तो क्या करें ?

श्री श्रीकांत जेना : पहले इस ढंग से नहीं हुआ है।

श्री सत्य देव सिंह : यह नहीं हुआ है परंतु अब इसकी अनुमति दी जा रही है।

इसी ओर बैठ कर आप मंत्रीयों द्वारा दिये गये वक्तव्यों पर प्रश्न पूछने के प्रयास करते थे...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : आप क्या कह रहे हैं ?.. **(व्यवधान)**

श्री सत्यदेव सिंह : मैं आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो आपने विचार अभिव्यक्त किए हैं कि चुनाव के बाद नए असेम्बली में आए नए नेताओं से चर्चा करके अधिक स्वायत्तता देने के बारे में आप किसी निर्णय पर आएंगे, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इस पर भी चर्चा होनी चाहिए तथा वह चर्चा खुले दिमाग से होनी चाहिए। मैं प्रोपराइटी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह सरकार भी प्रोपराइटी की बात भूल गई है। जो लोग वहां बैठे हैं।... **(व्यवधान)** सुनिए, क्या बात है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्य देव सिंह अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री सत्य देव सिंह : जी हां।

उपाध्यक्ष जी, मेरा यह सबमिशन है कि यहां पर पोंइट्स उठाए गए हैं, आपके संज्ञान में रहने चाहिए और आपकी नेक-नीयती का लाभ पूरे जम्मू-कश्मीर को मिले, यही मेरी सद्भावना है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, प्रधान मंत्री जी।

श्री एच. डी. देवेगौडा : महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया जायेगा।

श्री राजेश पायलट, जो भूतपूर्व आतंरिक सुरक्षा मंत्री हैं और जो कुछ समय के लिये काश्मीर मामलों के प्रभारी भी थे, ने भी कुछ सुझाव दिये हैं और सरकार उन सभी सुझावों पर विचार करने को तैयार है।

आतंकवादियों द्वारा हाल में की गई हत्याओं के बारे में एक और बात है। यह कुछ बड़ी बात है। जम्मू-कश्मीर में संसदीय चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद हमारे पडोसियों ने आतंकवादियों को फिर से प्रोत्साहन दिये हैं। वह पडौसी कौन हैं इसके बारे में मुझे इस पवित्र सभा में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है—सारा विश्व जानता है।

महोदय, मैं इस पवित्र सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इन आतंकवादियों को काबू करने के लिये सभी आवश्यक कठोर कदम उठाएगी और देखेगी कि विधान सभा चुनाव भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से आयोजित किये जायें।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। बाधा उपस्थित मत करें।

प्रधान मंत्री जी, अमरीका के राजदूत के बारे में उल्लेख किया गया है।

श्री एच. डी. देवेगौडा : मैं इसका अगी उल्लेख करूंगा, क्योंकि मुझे दूसरी सभा में भी जाना है।

यह बात आज सुबह हुई जिस समय मैं यहां पर नहीं था। यह एक वक्तव्य का ही प्रश्न नहीं है। पिछली सरकार ने कश्मीर के मामले में अधिक पारदर्शिता करने का निर्णय किया था। मैंने इस सभा में इस मामले पर चर्चा उठने के बाद जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल से जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। केवल 112 विदेशी राजनयिकों को कश्मीर जाने की अनुमति दी गई है इनमें से 67 पहले विदेशी सांसद रह चुके हैं।... **(व्यवधान)**। यह अनुमति जिन लोगों को दी गई उनमें राजदूत, संसदीय शिष्ट मंडल तथा विभिन्न देशों की सीनेटों के सदस्य सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य यह रहा है कि भारत सरकार किसी बात को गुप्त नहीं रखना चाहती। यह अधिक पारदर्शिता चाहती है और इसी कारण पिछली सरकार ने यह निर्णय लिया था। मैं पिछली सरकार के इस निर्णय को गलत नहीं ठहरा रहा।

आज इस सभा में यह भी मामला उठाया गया कि एक राजदूत श्रीनगर के दौरे पर गया है और वहां पर बहुत से लोगों से मिला है। वह वहां पर गृह मंत्री एवं विदेश मंत्रालय की पूर्व अनुमति के साथ गये हैं। गर्वनर को यह सूचित कर दिया गया था और उसी के आधार पर वह लोगों से मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस सभा से छुपाने की इसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने वहां जाने के लिये गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय की अनुमति हासिल की है। गर्वनर को इसकी सूचना दे दी गई थी। वह कल अपने अन्य अधिकारियों के साथ गर्वनर एवं मुख्य सचिव से मिलने वाले हैं। मुख्य सचिव की उपस्थिति में उनका एक-दो सेना अधिकारियों से मिलने का भी कार्यक्रम है।

एक अन्य बात यह भी है कि वह राजनैतिक दलों के कुछ नेताओं से भी मिलेंगे जिनमें डा. फारूख अब्दुल्ला भी शामिल हैं। आज वह कुछ अन्य राजनैतिक पार्टी के दलों से भी मिले हैं और वे कल भी उनसे मिलने वाले हैं। यह पहले सूचित कर दिया गया था। अतः इसमें नई बात कुछ नहीं है।

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : मैं पूरी तरह से इससे असहमत हूं। गृह मंत्री अमरीका के राजदूत को सेना अधिकारियों को मिलने की किस तरह अनुमति प्रदान कर सकते हैं ? गृह मत्री इसका निर्णय कैसे कर सकते हैं ?

श्री मधुकर सर्पोतदार : गृह मंत्री सुबह सदन में उपस्थित थे, परंतु उन्होंने सदन को इसकी सूचना नहीं दी।

श्री एच. डी. देवगौडा : मैं आपको बताता हूं कि मुझे दूसरे सदन में जाना है। अन्यथा अपने वक्तव्य में राजदूतों सहित उन सभी 112 विदेशी हस्तियों के मैंने नाम बता दिये होते जो पिछले चार साल में, तारीखवार उनसे मिले तथा किस-किस की अनुमति से मिले थे। गृह मंत्रालय ने यह सब जानकारी उपलब्ध कराई हैं। यह मेरे पास है। यह सभी जानकारी मेरे पास है। ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे चर्चा न बनायें।

श्री राजेश पायलट : प्रश्न यह नहीं है। हम प्रधान मंत्री से पूरी तरह सहमत हैं।

श्री श्रीकांत जेना : इस प्रश्न पर हमने पहले ही सूचना दी है कि हम विस्तृत वक्तव्य देंगे। माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि प्रधान मंत्री को दूसरे सदन में जाना है। विस्तृत विवरण तैयार है और हम वह वक्तव्य पढ सकते हैं और उसके आधार पर आप अपने निवेदन कर सकते हैं।

श्री एच. डी. देवे गौडा : इसमें नई बात कुछ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा फिर से शुरू कर सकते हैं। श्री द्वारिकानाथ दास बोलेंगे।

श्री जी. एल. कनौजिया (खेरी) : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। विदेशी आकर हमारे अधिकारियों से मिल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार वक्तव्य दे रही है। उसके बाद यदि कोई बात होगी तो देखेंगे।

श्री जी. एल. कनौजिया : हमें वक्तव्य की प्रति दीं जानी चाहिये।

श्री श्रीकांत जेना : यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अभी वक्तव्य दे सकता हूं या गैर-सरकारी अधिकारियों का काम पूरा होने के बाद दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके पास वक्तव्य तैयार हैं।

री जी.एल. कनौजिया : यह बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि विदेशी हमारे देश में आकर हमारे राजनीतिक नेताओं से मिल रहे हैं। यह विश्वास को भंग करने की बात है। यदि मैं अमरीका जाऊं और वहां जाकर उनके राजनैतिक दलों के नेताओं से मिलूं तो क्या वे मुझे इसकी अनुमति देंगे ?... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है कि मैं किसी की बात को सुनने में समर्थ नहीं हूं। यदि इतने लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी को भी सुन नहीं सकूंगा।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : इस पवित्र सभा के प्रत्येक सदस्य का गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों पर चर्चा में

हिस्सा लेने का अधिकार है। एक विधेयक पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है और उस पर चर्चा हो रही है। उसे फिर से शुरू किया जाना चाहिये। अतः कृपा करके गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा आरंभ करें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी कारण से मैं पहले ही श्री द्वारिका नाथ दास का नाम पुकार चुका हूं। वक्तव्य गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेने के बाद दिया जायेगा।

अपराह्न 5.40 बजे

अनिवार्य शिक्षा विधेयक

श्री द्वारिका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, मैं आरंभ में डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी को इस तरह का अच्छा विधेयक पुरःस्थापित करने के लिये बधाई देता हूं।

"अनिवार्य शिक्षा" मेरे विचार से भारत के संदर्भ में बिल्कुल प्रासंगिक अभिव्यक्ति नहीं है। निश्चित रूप से यह विधेयक उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य शिक्षा के लिये है। जहां तक उद्देश्य की बात है यह विधेयक काफी अग्रिम चरण पर है। हमें देश में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर विचार करने की जरूरत है। प्राथमिक स्तर पर बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जा रहा है और वे बच्चे दो-तीन सालों में हमेशा के लिये स्कूल छोड़ जाते हैं। स्थिति यह है। 94 करोड़ जनसंख्या वाला देश में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिएं। परंतु इस बारे में सरकार के आज तक के प्रयास काफी नहीं लगते।

निश्चित रूप से यह प्रासंगिक नहीं है परंतु फिर भी मुझे यह कहना है कि प्रौढ शिक्षा या जिसे "पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम" कहा जाता है पूरी तरह से एक ढकोंसला मात्र है। यह किसी को शिक्षित नहीं बनाता केवल पैसे का अपव्यय है। मैंने अपने जिले में देखा है कि "सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम" असफलता है और सरकार के द्वारा पैसे की बर्बादी है।

एक ही पातयक्रम के लिये अनेक प्रकार के स्कूल हैं। उदाहरण के रूप मे केन्द्रीय विद्यालय हैं, पब्लिक स्कूल हैं, ईसाई धर्म प्रचारकों के स्कूल हैं, सरकार द्वारा चलाये जा रहे नवोदय विद्यालय हैं, आदि आदि। ऐसे स्कूलों का वर्गीकरण भी है। ऊपरी वर्ग के लिये, तथा ऊपरीमध्य वर्ग के लोग ऊँची श्रेणी के स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाना चाहते हैं। मैं यह नहीं समझ पाता कि यह ऊपरी वर्ग के लोग और ऊपरी-मध्य वर्ग के लोग अपने बच्चों को इन उच्च वर्गीय स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिये क्यों उत्सुक हैं। ऐसा लगता है कि सरकार इस तथाकथित शिक्षा प्रणाली के जरिए अपने नागरिकों को भिन्न-भिन्न श्रेणियां उच्च, निम्न और मध्यम, में बांटना चाहती है।

अनिवार्य शिक्षा, विशेष रूप से भारत के इस श्रेणियों में बटे समाज में एक कल्पना की बात लगती है। आज तक 40 प्रतिशत से कम जनता निर्धनता के नीचे के स्तर पर रह रही है। किसानों तथा असंगठित मजदूर वर्ग के जीवन स्तर को बढाये बिना आप इस देश में अनिवार्य शिक्षा की उम्मीद किस तरह कर सकते है ? यह असभव है। अतः सब से पहले हमें किसानों और असगंठित मजदूरों सहित श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर को उठाने पर विचार करना है।

तभी हम अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं। अब जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है मैं समझता हूं कि आज तक वे दलित हैं। मेरा विचार है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों में साक्षरता की दर लगभग 15 प्रतिशत है और जहां तक महिलाओं का संबंध है यह 10 प्रतिशत से कम है। अतः आप बच्चों को किस प्रकार अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा देने की बात सोच सकते हैं ? यह असभव बात है।

अतः मेरा सुझाव है कि हमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना चाहिये। इसके लिये कोई आर्थिक पैकेज होना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा देने के बारे में सोचना केवल कल्पना है।

मेरा अगला सुझाव है कि सरकार को एक ही पाठ्यक्रम वाले अनेक प्रकार के स्कूलों के बीच भेदभाव समाप्त करने के प्रयास करने चाहियें क्योंकि इनसे समाज में मतभेद पैदा होंगे। सरकार को ग्रामीण स्कूलों तथा ग्रामीण पब्लिक स्कूलों को सुधारने के लिये सभी प्रयास करने चाहियें। इसको नवोदय विद्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये क्योंकि इसके कारण समाज में भेदभाव पैदा होगा। आने वाली नवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार को ग्रामीण स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिये सभी प्रयास करने चाहिये। मेरे विचार से ऐसा किया जा रहा है।

इस विधेयक में सभी उच्च स्तरों पर शिक्षा की बात कही गई है। परन्तु मेरा सुझाव है कि सर्वप्रथम बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और तभी वे उच्च शिक्षा के बारे में सोच सकते हैं।

मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, मैं अपने विद्वान मित्र डा. सुब्बारामा रेड्डी के द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

हम 21वीं शताब्दी की दहलीज पर हैं। जब हम 21वीं शताब्दी की ओर बढ रहे हैं, तो शिक्षा की मांग कई गुणा बढ रही है। विगत में शिक्षा का लक्ष्य बहुत सीमित था। इसका उद्देश्य ज्ञान, कुशलता तथा मूल्यों की जानकारी देना था। परंतु आज मानवता के विकास के वर्तमान काल में शिक्षा इन सीमित लक्ष्यों से आगे बढ जाती है। इसे विकास की आवश्यकताओं, आर्थिक असन्तुलन समाप्त करने आदि जैसे प्रौद्योगिकीय उन्नयन, भूमण्डलीकरण की मांगों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की जरूरतों को पूरा करना है।